न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 08/2019

1. जसविन्द्र कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि जंगीर सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक 43 एफ, बडीगा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखदेवकौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि करनैल सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक 44 एफ, बडीगा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. जसवीर कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि नाजम सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक 44 एफ, बडीगा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सतपाल सिंह
2. जसपाल सिंह
3. सुखपाल सिंह

} पिसरान बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4. वीरा कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि मिलावाराम जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक कच्ची थेडी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरदेव कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नी बलवीर सिंह, पत्नि बलवन्त सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक लम्बी ढाब तहसील मुक्तसर, पंजाब।
6. ग्रांम पंचायत 2 के.डब्ल्यू.एम. जरिये सरपंच प.स. खाजूवाला।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 29.11.2019**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट प्रस्तुत किया। अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। अपीलान्ट की माता के नाम चक 28 बी.डी. ए के मु.न. 37/17 के कि.न. 6, 7, 15, 16, 23, 24 तादादी 06.00 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारी भुादा थी। माता का देहान्त दिनांक 08.11.09 को हो गया। अपीलान्ट लगभग 11–12 सालो से लगातार उक्त भूमि पर काबिज का त है। अपीलान्ट अनपढ का तकार होने से राजस्व रिकार्ड की तरफ कभी ध्या नही नहीं दिया और जो कागजात पास में थे उनको ही अंतिम माना ओर खेती करते रहे। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अपीलान्ट के घरेलु नाम के वारिस प्रमाण पत्र बनाकर इकतरफा तौर पर उक्त जैर अपील आदे ा पारित करवाकर अपने नाम सही विरास्तन दर्ज करवा ली जबकि उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं था। अपीलान्ट संख्या 1 का नाम रिकार्ड में छिन्दौकौर, अपीलान्ट संख्या 2 का नाम इकबाल कौर, अपीलान्ट संख्या 3 का नाम छोटोकौर और रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का नाम वीरा कौर, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का नाम प्रीतोकौर जो बोलचाली का घरू नाम मुताबिक जैर अपील आदे ा दर्ज करवा लिया जबकि सही नाम रिकार्ड मुताबिक भीर्ष्क है। रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 ता 3 ने जानबुझकर गलत नाम दर्ज करवा दिया और अपने नाम सही दर्ज करवा अपीलान्ट के हको पर कुठाराघात किया है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर न्यायालय का जैर अपील आदे I इ.स. 116 दिनांक 21.10.15 को निरस्त कर अपीलान्ट के नाम मुताबिक भीर्ष्क व दस्तावेज इन्तकाल दर्ज करने के आदे I प्रदान करे ताकि अपीलान्ट को न्याय मिल सके।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उपभपक्ष सुनी गयी। बहस उभयपक्ष सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अध्ययन करने पर न्यायालय का मत है कि अपीलान्ट के नाम घरू नाम के हिसाब से रिकार्ड में अंकित हो गये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर चक 28 बी.डी. ए के मु.न. 37/17 का इन्तकाल संख्या 116 दिनांक 21.10.15 निरस्त किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस आ ाय से रिमान्ड की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फै ाल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)